/ .

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
<u>संकल्प</u>

विषयः—बिहार के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निमित मुफ्त औषधियों की सूची में संशोधन ।

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों तथा जिला अस्पतालों से प्राथमिक/अतिरक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में राज्य के रोगियों को बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क आवश्यक दवाएं उपलब्ध करायी जा रही है । सिविल सर्जन एवं राज्य के मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षक तथा विभागाध्यक्षों द्वारा विभागीय संकल्प 603(12) दिनांक 05.10.09 द्वारा अधिसूचित आवश्यक दवाओं की सूची में कुछ दवाओं को आवश्यक दवाओं की सूची में सम्मिलित करने तथा कुछ दवाओं की सूची से हटाने का प्रस्ताव था । विभागीय संकल्प सं0 821(प0क0) दिनांक 07.09.06 की कंडिका 'क' के आलोक में निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार की अध्यक्षता में गठित Technical Core Committee के द्वारा पूर्व की आवश्यक दवाओं की सूची में संशोधन करने हेतु चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षकों, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीय उप निदेशकों एवं प्रमंडलीय स्तर पर जिलों में पदस्थापित सिविल सर्जन की बैठक में तैयार की गयी संशोधित आवश्यक दवाओं की सूची का अनुमोदन किया गया है ।

अतः जिला अस्पताल से प्राथमिक/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा राज्य के छः चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अर्न्तवासी तथा वाह्य रोगियों के लिए आवश्यक दवाओं की संशोधित सूची निम्न प्रकार है :—

(क) जिला अस्पताल से प्राथमिक/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक के वाह्य रोगियों के लिए 33 (तैतीस) दवाएं । अनुसूची— 'A'

(ख) जिला अस्पताल से प्राथमिक/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक के अर्न्तवासी रोगियों के लिए 112 (एक सौ बारह) दवाएं । अनुसूची – 'B'

(ग) राज्य के छः सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के वाह्य रागियों के लिए 65 (पैसठ) दवाएं । अनुसूची –'C'

(घ) राज्य के छः सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अर्न्तवासी रोगियों के लिए 120 (एक सौ बीस) दवाएं । अनुसूची– 'D'

(ड़) राज्य के छः सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के Operation Theatre के लिए 43 (तैतालिस) दवाएं/उपस्कर । अनुसूची– 'E'

पूर्व में विभिन्न विभागीय संकल्पों द्वारा अधिसूचित मुफ्त वितरण की जाने वाली औषधियों की सूची (संकल्प 472(12) दिनांक 19.12.07 की कंडिका–2, जिसमें राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं न्यू गार्डिनर रोड, अस्पताल के वाह्य कक्ष में Anti Haemophillic Factor की दवा शामिल है को छोड़कर) को विलोपित किया जाता है ।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

आदेशः–*आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।*

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अमरजीत सिन्हा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–12/प0–08–06/2011 409(12) /पटना, दिनांक– 09.05.11

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–12/प0–08–06/2011 – 409(12)/पटना, दिनांक– 09.05.11

प्रतिलिपि–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–12/प0–08–06/2011 – 409(12)/पटना, दिनांक– 09.05.11

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव